उत्तर प्रदेश शासन
महिला कल्याण अनुभाग-1
संख्या-43/2023/ई-2488750/60-1099/141/2021
लखनऊ::दिनांक:: 29 अगस्त, 2023

श्रीमती स्मिता सिंह, जिला प्रोबेशन अधिकारी, अलीगढ को वित्तीय हस्तपुसितका खण्ड-2 के भाग 2 से 4 के सहायक नियम-153(1) के अन्तर्गत दिनांक 01.06.2023 से दिनांक 27.11.2023 तक कुल 180 दिन का मातृत्व अवकाश एतदद्वारा स्वीकृत किया जाता है।

2- यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती स्मिता सिंह उक्त अवधि में अवकाश पर जातीं तो वे उक्त पद पर यथावत कार्य करती रहतीं ।

(दिनेश चन्द्र पाण्डेय),
संयुक्त सचिव।

संख्या-43/2023/ई-2488750(1)/60-1099/141/2021, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निदेशक, महिला कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ ।
2. जिलाधिकारी, अलीगढ।
3. कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, अलीगढ।
4. उप मुख्य परिविक्षा अधिकारी, अलीगढ मण्डल अलीगढ।
5. श्रीमती स्मिता सिंह, जिला प्रोबेशन अधिकारी, अलीगढ।
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(दिनेश चन्द्र पाण्डेय),
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।